राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/जेएसए/2019/45055-45166 दिनांकः 5/8/19.

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका
(ग्रुप–G 111 शहर)

विषयः–जल शक्ति अभियान को जन आंदोलन में तब्दील करने बाबत्।

संदर्भः–संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का डी. ओ. पत्रांक 5/1/2018–SBM–II दिनांक 26.07.2019

भारत सरकार के आवासन एवं शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान के नगरीय क्षेत्रों में निकायवार केन्द्र/राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर रैकिंग हेतु जारी रैकिंग फ्रेम वर्क के अनुसार रैंकिंग हेतु 06 घटक तय किये गये है, जिसमें जन आंदोलन घटक का Weightage सर्वाधिक (50%) एवं वृक्षारोपण का Weightage 15% है। शेष घटक (1) वर्षा जल संचयन (2) उपचारित अपशिष्ट जल का पुर्नउपयोग व (3) जल निकायों का जीर्णोद्धार प्रत्येक का Weightage 10% है एवं दस्तावेजीकरण का Weightage 5% है। अतः निकायों के केन्द्र/राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर रैकिंग सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान को **जन आंदोलन** में तब्दील करना अनिवार्य है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए स्थानीय जनता की भागीदारी का उल्लेख करते हुए जल संरक्षण अभियान में समस्त मंत्रालयों, विभागों व अन्य संस्थाओं को सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने पर जोर दिया है। संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का डी. ओ. पत्रांक 5/1/2018–SBM–II दिनांक 26.07.2019 द्वारा भी जल शक्ति अभियान के अधिकतम जन भागीदारी पर जोर दिया गया है। इस क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

अतः जल शक्ति अभियान को **जन आंदोलन** में तब्दील करने हेतु निम्न गतिविधियां की जानी वांछित है:

1. निकाय क्षेत्र के सभी निजी एवं राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राजकीय कार्यालयों (केन्द्र व राज्य सरकार) में वृक्षारोपण एवं वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया जाये, यदि वर्षा जल संचयन संरचना पूर्व से निर्मित है तो उसकी क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये।
2. निकाय क्षेत्र में स्थित जल स्त्रोतो/एमजेएसए में जीर्णोद्धारित बावड़ियों, तालाबों एवं सभी उद्यानों में सफाई व वृक्षारोपण किया जाये।
3. निकायों के सभी पार्षदगणों द्वारा अपने–अपने वार्ड में वृक्षारोपण एवं जल निकायों की जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए सफाई की जाये।
4. अमृत योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन उद्यानों में सघन वृक्षारोपण किया जाये।
5. वृक्षारोपण के दौरान कार्यक्रम स्थल पर जल शक्ति अभियान का 10'X10' साईज का बैनर आवश्यक रूप से लगाकर फोटोग्राफी व विडियोग्राफी करवायी जाये।
6. किसी भी जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत जीर्णोद्धारित बावड़ियों/वाटर बॉडिज़/वर्षा जल संचयन संरचना की सफाई/मरम्मत करवायी जाये। इस दौरान वहां जल शक्ति अभियान का 10'X10' साईज का बैनर लगाकर फोटोग्राफी–विडियोग्राफी करवायी जाये।
7. मानसून के दौरान, प्रतिदिन वृक्षारोपण/वर्षा जल संचयन संरचना की सफाई करवाकर उसकी फोटोमय विवरण मेल आईडी cedlbjp@gmail.com पर आवश्यक रूप से डाली जाये, साथ ही जल शक्ति ग्रुप–जी के Whatsapp Group पर शेयर एवं जल शक्ति पोर्टल पर अपलोड की जाये।
8. निकाय कार्यालय में जल शक्ति अभियान का 10'X10' साईज का फ्लैक्स/बोर्ड आवश्यक रूप से स्थापित कर कार्यक्रम की महत्वपूर्ण गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाये, जिसमें अभियान की समयावधि भी अंकित हो।

9. प्रत्येक नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा जल शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों के कम से कम 3 फोटो/वीडियो आवश्यक रूप से जल शक्ति ग्रुप–जी के Whatsapp Group पर शेयर किये जायेंगे एवं जल शक्ति पोर्टल पर भी अपलोड किये जायेंगे।
10. अभियान के दौरान नगरीय निकाय RWAs, विद्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, CSOs, NYKs, NSS Volunteers, एनसीसी कैडेट्स, डे–एनयूएलएम के स्वयं सहायता समूह, चुने हुए प्रतिनिधिगण, स्वच्छाग्राही आदि की सहायता से सघन जागरूकता अभियान चलायेंगे।
11. नगरीय निकायों द्वारा विभिन्न प्रकार के सामुदायिक कार्यक्रम, कार्यशाला, पर्चा वितरण, बैनर्स, भित्ति चित्र, नुक्कड़ नाटक, श्रमदान, प्रभातफेरी एवं अन्य सोशल मीडिया आदि कार्यक्रमों के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण कार्य के प्रति जागरूकता अभियान संचालित किया जायेगा।
12. जल संरक्षण जागरूकता के कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों यथा फिल्म जगत, खेल, सामाजिक कार्यो में अग्रणी व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाये।
13. संबंधित लाईन विभागों के स्तर से अब तक संपादित कार्यों के संबंध में मूलभूत सूचना (Baseline Data) प्राप्त कर जल शक्ति पोर्टल पर अपलोड की जाये।
14. संबंधित लाईन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से उनके विभाग के अंतर्गत जल संरक्षण से संबंधित प्रगतिरत कार्यो की कार्य योजना प्राप्त की जावे एवं जल शक्ति पोर्टल पर अपलोड की जाये।
15. **सभी 111 नगरीय निकायों में, अभियान की संपूर्ण आई.ई.सी. (राज्य) गतिविधियां अमृत फण्ड्स के अंतर्गत राज्य की प्रशासनिक एवं कार्यालयी व्यय निधि से संपादित किये जा सकेंगे।**

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा उक्त गतिविधियों के फोटोग्राफ्स/वीडियो स्वयं के वॉट्सएप्प से **जल शक्ति ग्रुप–जी** (ULB Jal Shakti Group-G) के वाट्सएप्प ग्रुप पर शेयर किया जाना व जल शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/जेएसए/2019/ 45167–45218. दिनांकः 5/8/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकर, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
8. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त (समस्त), ...
10. जिला कलक्टर (समस्त–श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, को छोड़कर)............................
11. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर।
12. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
13. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियंता

वी. के. जिन्दल
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक
V. K. JINDAL, ICoAS
Joint Secretary & Mission Director
Swachh Bharat Mission
Tel (011) 23061630
E-mail vkjindal@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
निर्माण भवन
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFA
NIRMAN BHAWAN
New Delhi-110011, dated the

D.O. No.5/1/2018-SBM-II **26th July, 2019**

Dear Sir/Madam,

Govt. of India has launched the Jal Shakti Abhiyan (JSA) under the Ministry of Jal Shakti for water conservation and supply to each household of the country. This Ministry is actively participating in this Abhiyan and has identified 756 water stressed ULBs. The campaign will run through citizen participation during the Monsoon season from 01/07/2019 to 15/09/2019. The 2nd phase of the campaign will be taken up from 01/10/2019 to 30/11/2019 for States receiving the North East retreating Monsoon. During the campaigns the focus will be on water stressed Districts and ULBs.

2. JSA is aimed at creating 'Jan Andolan' through asset creation and communication campaigns to ensure interventions in the areas of Rain Water Harvesting (RWH), Reuse of Treated Waste Water, Rejuvenation of Water Bodies and Plantation for water conservation. In this pursuit, MOHUA has developed a 'Jal Shakti Abhiyan Portal' for capturing the 'Base line Data' as well as 'Daily Progress' of Abhiyan in the aforementioned interventions.

3. I shall be grateful if you could issue appropriate instructions to activate the Swachhagrahis for mobilising the masses for communicating the message of water conservation during the ongoing Monsoon season. Further, an IEC campaign may be launched through various media like door to door outreach, organising community events, workshops, flyers, banners, wall painting, street plays etc., for creating public awareness in water conservation measures in urban areas. Leading personalities in films, sports, social work or public life may be invited to these campaigns. The detail guideline for JSA is available at **mohua.gov.in** and **amrut.gov.in**.

With regards.

Yours sincerely,

(V.K. Jindal)

To

State Mission Directors, SBM(U), All States & UTs